




**महाराष्ट्र शासन**  
**महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग**

त्रिशूल गोल्ड फिल्ड, प्लॉट नंबर २४, सेक्टर ११, सरोवर विहार समोर, बेलापुर सीबीडी, नवी मुंबई-४००६१४  
Email ID : contact-secretary@mpsc.gov.in Website : https://mpsc.gov.in , https://mpsonline.gov.in  
@mpsc\_office @official\_mpsc

क्रमांक : सीएमए-०४२५/प्र.क्र.१४०/२०२५/जाहिरात

जाहिरात क्रमांक : १२४/२०२५

**महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा - २०२५**

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत खालील संवर्गातील एकूण ९३८ पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत **महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२५, रविवार, दिनांक ०४ जानेवारी, २०२६** रोजी महाराष्ट्रातील एकूण ३७ जिल्हा केंद्रावर घेण्यात येईल :-

| अ. क्र.         | संवर्ग           | विभाग                                                                        | वेतनश्रेणी                                                               | एकूण पदे   |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| १               | उद्योग निरीक्षक, | उद्योग उर्जा व कामगार विभाग                                                  | S-१३ : रु. ३५४००-११२४००<br>अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते.   | ०९         |
| २               | तांत्रिक सहायक,  | वित्त विभाग                                                                  | S-१० : रु. २९२००-९२३००<br>अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते | ०४         |
| ३               | कर सहायक         | वित्त विभाग                                                                  | S-८ : रु. २५५००-८११००<br>अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते  | ७३         |
| ४               | लिपिक-टंकलेखक    | मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच राज्य शासनाची महाराष्ट्रातील विविध कार्यालये | S-६ : रु. १९९००-६३२००<br>अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते  | ८५२        |
| <b>एकूण पदे</b> |                  |                                                                              |                                                                          | <b>९३८</b> |

२. प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या विविध संवर्गातील सर्व पदांच्या सविस्तर तपशील सोबतच्या **परिशिष्ट-एक** मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहे .

३. संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाद्वारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता मुख्य परीक्षेचा दिनांक स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल.

३.१ प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता करणा-या उमेदवारांकडून आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

३.२ अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया/कालावधी :-

| अ.क्र. | तपशील                                                                                  | विहित कालावधी                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | अर्ज सादर करण्याचा कालावधी                                                             | दिनांक ०७ ऑक्टोबर , २०२५ रोजी १४.०० पासून<br>दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी २३:५९ वाजेपर्यंत |
| २      | ऑनलाईन पद्धतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक                              | दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी २३:५९ वाजेपर्यंत                                              |
| ३      | भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याचा दिनांक | दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी २३:५९ वाजेपर्यंत                                              |
| ४      | चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क बँकेमध्ये भरण्याचा अंतिम दिनांक                               | दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०२५ रोजी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेमध्ये                                 |

४. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :-

४.१ पदसंख्या व आरक्षणांमध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे.

४.२ प्रस्तुत परीक्षेमधून भरण्यात येणाऱ्या विविध संवर्गांपैकी जाहिरातीच्या दिनांकापर्यंत प्राप्त झालेली पदे प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केली आहेत. जाहिरातीमध्ये नमूद संवर्गातील पदांव्यतिरिक्त प्रस्तुत परीक्षेमधून भरण्यात येणा-या उर्वरित संवर्गातील पदांचा नंतरच्या टप्प्यावर समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत संबंधित विभागाकडून सुधारित/अतिरिक्त मागणीपत्राद्वारे प्राप्त होणारी सर्व पदे/संवर्ग पूर्व परीक्षेच्या निकालासाठी विचारात घेण्यात येतील व अशा सुधारित/अतिरिक्त मागणीपत्रांचा तपशील पूर्व परीक्षेच्या निकाल प्रसिद्ध करण्यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्याच्या आधारे प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या पदाकरीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

४.३ जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर तसेच पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंत नव्याने प्राप्त होणा-या मागणीपत्रांमध्ये जाहिरातीत नमूद नसलेल्या संवर्गासाठी तसेच सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाकरीता पदे उपलब्ध होण्याची आणि विद्यमान संवर्गातील पदसंख्येमध्ये बदल/वाढ होण्याची शक्यता विचारात घेऊन उमेदवारांनी पूर्व परीक्षेकरीता अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील.

४.४ पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत शासनाकडून सुधारित/अतिरिक्त/स्वतंत्र मागणीपत्राद्वारे प्राप्त होणारी सर्व सेवेतील पदे पूर्व परीक्षेच्या निकालासाठी विचारात घेण्यात येतील.

४.५ पूर्व परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर शासनाकडून सुधारित/अतिरिक्त/स्वतंत्र मागणीपत्राद्वारे प्राप्त संवर्गातील पदांचा समावेश पूर्व परीक्षेच्या निकालापूर्वी शुद्धिपत्रकाद्वारे करण्यात येईल. यास्तव पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये पद आरक्षित नसल्यामुळे, पदसंख्या कमी असल्यामुळे अथवा संवर्गाचा समावेश नसल्यामुळे पूर्व परीक्षेसाठी अर्ज सादर केला नसल्याची व त्यामुळे निवडीची संधी वाया गेल्याबाबतची कोणतीही तक्रार नंतर कोणत्याही टप्प्यावर विचारात घेतली जाणार नाही.

- ४.६ भरावयाच्या उपरोक्त संवर्ग/पदांचा सामाजिक/समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील शासनाकडून प्राप्त संबंधित मागणीपत्रानुसार आहे. तसेच, जाहिरातीमध्ये नमूद पदसंख्या व आरक्षणांमध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल/वाढ होऊ शकेल.
- ४.७ पदसंख्या व आरक्षणांमध्ये बदल झाल्यास त्याचा समावेश मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेमध्ये करण्यात येईल. तसेच याबाबतची घोषणा/सूचना वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या घोषणा/सूचनांच्या आधारे प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या पदाकरीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
- ४.८ विविध सामाजिक प्रवर्ग, महिला, प्राविण्यप्राप्त खेळाडू, दिव्यांग व अनाथ इत्यादींसाठी सामाजिक व समांतर आरक्षण शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार राहील
- ४.९ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक-महिआ२०२३/प्र.क्र.१२३/कार्या-२, दिनांक ०४ मे, २०२३ अन्वये विहित कार्यपद्धतीनुसार अराखीव महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीसाठी, अराखीव महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.
- ४.१० अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागास प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीसाठी दावा करू इच्छिणाऱ्या महिलांना संबंधित मागास प्रवर्गासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात आल्याप्रमाणे नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतच्या तरतुदी लागू राहतील.
- ४.११ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled) असल्याबाबत तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळून इतर सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी नॉन-क्रिमिलेअरमध्ये मोडत असल्याबाबतचा स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे.
- ४.१२ विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती. (ब), भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल.
- ४.१३ अर्ज करताना एखादी जात/जमात राज्य शासनाकडून आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे घोषित केली असल्यासच तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र उमेदवाराकडे उपलब्ध असेल तर संबंधित जात/जमातीचे उमेदवार आरक्षणाच्या दाव्यासाठी पात्र असतील.
- ४.१४ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ तसेच शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.३९/१६-अ, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
- ४.१५ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (ईडब्ल्यूएस) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: राआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ व दिनांक ३१ मे, २०२१ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचा दावा केलेल्या उमेदवारांनी **सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षाचे प्रमाणपत्र, कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहील.**
- ४.१६ सदर जाहिरात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग अधिनियम दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ व संबंधित शासन निर्णय दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या न्यायिक प्रकरणातील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. या जाहिराती संबंधित शिफारशी व नियुक्त्या उक्त उल्लेखित न्यायिक प्रकरणाच्या अधीन राहून करण्यात येतील. त्या अनुषंगाने आयोगामार्फत दिनांक २६ एप्रिल, २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले प्रसिद्धीपत्रक जाहिरातीस लागू राहतील.
- ४.१७ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: बीसीसी/प्र.क्र.७५/१६-क, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गाकरीता आरक्षण विहित करण्यात आले असून शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक बीसीसी-२०२४/प्र.क्र.७५/आरक्षण-५, दिनांक २८ जून, २०२४ व ०५ जुलै, २०२४ अन्वये विहित करण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
- ४.१८ शासन शुध्दीपत्रक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.७६/मावक, दिनांक ०९ मार्च, २०२३ अन्वये शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, संबंधित उमेदवार उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती/गटात मोडत नसल्याबाबतची पडताळणी करण्यासाठी **सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षाचे उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील.**
- ४.१९ सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या वयोमर्यादेमध्ये सवलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव (खुला) पदावरील निवडीकरीता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा तपशील वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.
- ४.२० अराखीव (खुला)सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता गुणवत्तेच्या आधारे सर्व उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे.
- ४.२१ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ हा केवळ महाराष्ट्राचे सर्वसाधारण रहिवासी असणाऱ्या उमेदवारांना अनुज्ञेय आहे. सर्वसाधारण रहिवासी या संज्ञेला भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० च्या कलम २० अनुसार जो अर्थ आहे तोच अर्थ असेल.
- ४.२२ सामाजिक अथवा समांतर आरक्षणाचा अथवा सोयी सवलतीचा दावा करणाऱ्या उमेदवाराकडे संबंधित कायदा / नियम / आदेशानुसार विहित नमुन्यातील पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीस अनुसरून अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या दिनांकापूर्वीचे वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे. वैध प्रमाणपत्रांचा कालावधी संबंधित शासन आदेशावरील तरतुदीनुसार (लागू असेल त्याप्रमाणे) ग्राह्य समजण्यात येईल.
- ४.२३ सामाजिक व समांतर आरक्षणासंदर्भात विविध न्यायालयामध्ये दाखल न्यायप्रविष्ट प्रकरणे अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल.
- ४.२४ **खेळाडू आरक्षण :-**
- ४.२४.१ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६, तसेच शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक:राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-१७१६/प्र.क्र.१८/क्रीयुसे-२, दिनांक ३० जून, २०२२, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: खेआक्ष-२९२३/प्र.क्र.५७/का-१३, दिनांक ०७ जून, २०२३ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
- ४.२४.२ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रीडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत तसेच उमेदवार कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयी संबंधित विभागीय क्रीडा उपसंचालक यांनी प्रदान केलेला

विहित नमुन्यातील प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल (शासन निर्णय दिनांक ०१ जुलै, २०१६ सोबतचे परिशिष्ट “क”) पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचा किंवा तत्पूर्वीचा असणे तसेच सदर पडताळणी अहवाल अर्जासोबत अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

४.२४.३ विहित नमुन्यातील प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल उपलब्ध नसलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीच्या पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच सादर करणे तसेच सक्षम प्राधिकरणाकडे क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी केलेल्या अर्जाची पोच पावती अर्जासोबत अपलोड करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही.

४.२४.४ पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचा किंवा तत्पूर्वीचा विभागीय क्रीडा उपसंचालक यांचा विहित नमुन्यातील प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल सादर केला नसल्यास अथवा विहित दिनांकापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाकडे क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती सादर केली नसल्यास, संबंधित उमेदवाराचा खेळाडू आरक्षणाचा दावा विचारात घेतला जाणार नाही.

४.२४.५ पूर्व परीक्षेच्या प्रवेशाकरीता प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सादर केलेल्या अर्जाची पोच पावती अपलोड केलेल्या उमेदवाराने मुख्य परीक्षा/कागदपत्रे पडताळणी/मुलाखतीच्यावेळी विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र तसेच प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत आणि खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीचा संबंधित विभागीय क्रीडा उपसंचालक यांनी प्रदान केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर निवडकीकरीता विचार करण्यात येईल.

४.२४.६ एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणा-या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

#### ४.२५ दिव्यांग आरक्षण :-

४.२५.१ दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ, दिनांक २९ मे, २०१९, आणि शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : दिव्यांग-२०२५/प्र.क्र.३७/आरक्षण-१, दिनांक ३१ जुलै, २०२५ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

४.२५.२ प्रस्तुत परीक्षेमधून भरण्यात येणा-या विविध संवर्ग/पदांकरिता दिव्यांग सुनिश्चिती संदर्भातील तपशील **परिशिष्ट- २** प्रमाणे आहे.

४.२५.३ दिव्यांग व्यक्तींची संबंधित संवर्ग/पदाकरीता पात्रता शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहिल.

४.२५.४ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील.

४.२५.५ दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल.

४.२५.६ संबंधित दिव्यांगत्वाच्या प्रकारचे किमान ४०% कायमस्वरूपी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र धारक उमेदवार / व्यक्ती आरक्षण तसेच नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी / सवलतीसाठी पात्र असतील. कोणत्याही उमेदवारास तात्पुरत्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

४.२५.७ लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेले उमेदवार / व्यक्ती खालील सवलतींच्या दाव्यास पात्र असतील:-

(१) कायमस्वरूपी दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद लक्षणीय दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित असल्यास नियमानुसार अनुज्ञेय आरक्षण व इतर सोयी सवलती.

(२) कायमस्वरूपी दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद संबंधित दिव्यांग प्रकारासाठी सुनिश्चित केले असल्यास नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी सवलती.

४.२५.८ लक्षणीय दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या वयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या [www.swavilambancard.gov.in](http://www.swavilambancard.gov.in) अथवा SADM या संगणकीय प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.

४.२५.९ शासन परिपत्रक, दिव्यांग कल्याण विभाग, क्रमांक: दिव्यांग-२०२४/प्र.क्र.८६/दि.क.२, दिनांक २७ जून, २०२४ अन्वये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये / भविष्यात वेळोवेळी स्थापन करण्यात आलेल्या / येणाऱ्या वैद्यकीय मंडळामार्फत दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) प्राप्त करून घेणे अनिवार्य आहे. वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) प्राप्त करून घेण्यासाठी नोंदणी केल्यानंतर प्रत्यक्षात सदर ओळखपत्र प्राप्त होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी दिव्यांग व्यक्तींना दिव्यांगत्वाच्या सवलती / योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांचेकडे असलेले दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रासोबत वैश्विक ओळखपत्रासाठीचा नाव नोंदणी क्रमांक (Enrollment Number) सादर करणे अनिवार्य राहिल.

४.२५.१० महाराष्ट्र शासनाच्या उपरोक्त नमूद दिनांक २७ जून, २०२४ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना आरक्षणासह सर्व सुविधा व लाभ मिळण्यासाठी केंद्र शासनाच्या स्वावलंबन पोर्टलवरून वितरित केलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) आयोगाद्वारे आयोजित सर्व पदभरतीकरीता अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याबाबत दिनांक २१ एप्रिल, २०२४ रोजी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

४.२५.११ सदर शासन परिपत्रकास अनुसरून आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीमधील उमेदवारांच्या खात्यामध्ये दिव्यांग उमेदवारांचा वैश्विक ओळखपत्र क्रमांक नोंद करण्याची तसेच दिव्यांग उमेदवारांनी त्यांच्या खात्यामध्ये दिलेला दिव्यांगत्वाचा तपशील केंद्र शासनाच्या स्वावलंबन पोर्टलवरून विधिग्राह्य (Validate) करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

४.२५.१२ दिव्यांग तपशील विधिग्राह्य होण्याकरीता दिव्यांग उमेदवारांना पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक असेल :-

(१) स्वावलंबन पोर्टलवरून वितरित दिव्यांग प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्र क्रमांक अशा दोन्ही बाबी उपलब्ध असलेल्या दिव्यांग उमेदवारांनी सदर दोन्ही तपशील नोंदविणे आवश्यक आहे.

(२) ज्या उमेदवारांकडे सद्यस्थितीत स्वावलंबन पोर्टलवरून वितरित केलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र नाही. तथापि, राज्य शासनाच्या SADM पोर्टलवरून वितरित करण्यात आलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र आहे, अशा उमेदवारांनी SADM प्रमाणपत्रासह वैश्विक ओळखपत्रासाठी नोंदणी केल्याचा क्रमांक (Enrolment Number) नोंदविणे अनिवार्य असेल. तथापि, सदर उमेदवारांना मुलाखतीपूर्वी वैश्विक ओळखपत्र सादर करणे आवश्यक असेल.

- (३) उमेदवारांनी खात्यामधील दिव्यांगत्वाचा सर्व आवश्यक तपशील अचूकपणे नोंदवावा. दिव्यांगत्वाचा तपशील नोंदविताना तो दिव्यांग प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्रावर नमूद केल्याप्रमाणेच असल्याची खात्री करावी. उदा. दिव्यांग प्रमाणपत्र क्रमांक, दिव्यांगत्वाची टक्केवारी, वैश्विक ओळखपत्र क्रमांक, वैश्विक ओळखपत्र वितरणाचा दिनांक इत्यादी तपशील वैश्विक ओळखपत्राप्रमाणेच असणे आवश्यक आहे.
- (४) दिव्यांगत्वाचा सर्व तपशील अचूकपणे नोंदविल्यानंतर 'Validate' या बटनवर क्लिक करावे.
- (५) उमेदवाराचे वैश्विक ओळखपत्रावर नमूद नाव, दिव्यांगत्वाचा प्रकार व दिव्यांग स्थिती (कायमस्वरूपी/तात्पुरते) इत्यादी तपशील दर्शविले जाईल व सदर तपशील अचूक असल्याचे उमेदवाराने संबंधित बटनवर क्लिक करून प्रमाणित केल्यानंतर दिव्यांग तपशील विधिग्राह्य करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
- (६) दिव्यांग तपशील विधिग्राह्य होण्याची प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण होण्यासाठी उमेदवाराच्या खात्यामध्ये नमूद जन्मदिनांक व वैश्विक ओळखपत्राकरीता नमूद जन्मदिनांक एकच असणे तसेच दिव्यांगत्वाचा सर्व तपशील अचूकपणे नोंदविणे आवश्यक आहे.

**४.२५.१३ दिव्यांग तपशील विधिग्राह्य असल्याशिवाय दिव्यांग उमेदवारांना कोणत्याही जाहिरातीस अनुसरून अर्ज सादर करता येणार नाही.**

**४.२५.१४ लक्षणीय दिव्यांगत्व असणाऱ्या उमेदवारांना अर्जांमध्ये नमूद केलेला दिव्यांगत्वाचा प्रकार / उप प्रकार बदलणे अनुज्ञेय नाही.**

**४.२६ दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक आणि / अथवा अनुग्रह कालावधीबाबत**

- ४.२६.१** लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या उमेदवारांना परीक्षेच्यावेळी लेखनिक व इतर सोयी सवलती उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : दिव्यांग२०१९/प्र.क्र.२००/दि.क.२, दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या 'लक्षणीय (Benchmark) दिव्यांग व्यक्तींच्याबाबत लेखी परीक्षा घेण्याबाबतची मार्गदर्शिका-२०२१' तसेच तदनंतर शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
- ४.२६.२** प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसांच्या आत आवश्यक प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करून पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
- ४.२६.३** लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वतः केली जाणार आहे की आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीस अनुसरून ऑनलाईन पद्धतीने केलेल्या अर्जांमध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल.
- ४.२६.४** अर्जांमध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पद्धतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही.
- ४.२६.५** परीक्षेकरीता लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीच्या परवानगीबाबत संबंधित उमेदवाराला आयोगाकडील नोंदणीकृत ई-मेलवर कळविण्यात येईल.
- ४.२६.६** प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी लेखनिक व अनुग्रह कालावधीचा लाभ घेण्यास इच्छुक असलेल्या दिव्यांग उमेदवारांनी आयोगामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरून अर्ज सादर करण्यापूर्वी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या "दिव्यांग उमेदवारांकरीता मार्गदर्शक सूचना" चे अवलोकन करणे उमेदवारांचे हिताचे राहील.

**४.२७ अनाथ आरक्षण :-**

- ४.२७.१** अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक : अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२३, दिनांक १० मे, २०२३ अनुसार तसेच शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणा-या आदेशानुसार राहील.
- ४.२७.२** अनाथ आरक्षण धोरण शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, पूरक पत्र, क्रमांक : अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३, दिनांक १० मे, २०२३ अन्वये एखाद्या भरती प्रक्रियेमध्ये अनाथ आरक्षणाच्या एका प्रवर्गासाठी उपलब्ध जागांवर गुणवत्तेनुसार त्या प्रवर्गातील अनाथ उमेदवार पर्याप्त प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकले नाहीत, तर त्या भरती प्रक्रियेमध्ये ती पदे अनाथांच्या दुसऱ्या प्रवर्गातील उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात येतील.
- ४.२७.३** अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे; त्या प्रवर्गातून करण्यात येईल.
- ४.२७.४** पूर्व परीक्षेच्या अर्जाद्वारे अनाथ आरक्षणाचा दावा केलेल्या उमेदवारांनी दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०२२, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२३ आणि दिनांक १० मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार विहित नमुन्यातील अनाथ प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आयोगाकडून निश्चित करण्यात येणाऱ्या विहित कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील. अन्यथा अनाथ आरक्षणाचा दावा विचारात घेतला जाणार नाही.

**४.२५ माजी सैनिक आरक्षण :-**

- ४.२५.१** उमेदवार स्वतः माजी सैनिक असल्यास त्याने त्याबाबत स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यास माजी सैनिकांना अनुज्ञेय असलेले लाभ मिळणार नाहीत.
- ४.२५.२** माजी सैनिकांकरीता आरक्षणासंदर्भातील तरतुदी शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार असतील.

**४.२६ प्रकल्पग्रस्तांसाठीचे आरक्षण :-**

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : ईएम-१०८०/३५/१६-अ, दिनांक २० जानेवारी, १९८० तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी नमूद करण्यात येणा-या आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठीचे आरक्षण राहील.

**४.२७ भूकंपग्रस्तांसाठीचे आरक्षण :-**

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : भूकंप-१००९/प्र.क्र.२०७/२००९/१६-अ, दिनांक २७ ऑगस्ट, २००९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणा-या आदेशानुसार भूकंपग्रस्तांसाठीचे आरक्षण राहील.

**४.२८ पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांच्याकरीता आरक्षण :-**

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : पअंक-१००९/प्र.क्र.२००/२००९/१६-अ, दिनांक २७ ऑक्टोबर, २००९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणा-या आदेशानुसार भूकंपग्रस्तांसाठीचे आरक्षण राहील.

**४.२९ प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त व पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांच्याकरीता असलेले आरक्षण तसेच सोयी-सवलती या केवळ बृहन्मुंबई क्षेत्राबाहेरील शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठीच लागू आहेत.**

**५. वेतनश्रेणी :-**

| अ.क्र. | पदाचे नाव                         | वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर                                            |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| १      | उद्योग निरीक्षक, उद्योग संचालनालय | S-१३ : ३५४००-११२४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते.         |
| २      | तांत्रिक सहायक, विमा संचालनालय    | S-१० : रुपये २९२००-९२३०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते |
| ३      | कर सहायक                          | S-८ : २५५००-८११०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते        |
| ४      | लिपिक-टंकलेखक                     | S-६ : १९९००-६३२०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते        |

६. पात्रता :-

६.१ भारतीय नागरिकत्व.

६.२ वयोमर्यादा :-

६.२.१ वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक :- **दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०२६**

६.२.२ विविध अराजपत्रित प्रवर्ग/ उपप्रवर्गासाठी किमान व कमाल मर्यादा :-

| अ.क्र.                                                     | घटक                              | उद्योग निरीक्षक, उद्योग संचालनालय | तांत्रिक सहायक, विमा संचालनालय | कर सहायक                  | लिपिक-टंकलेखक             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>१. किमान वयोमर्यादा</b>                                 |                                  |                                   |                                |                           |                           |
|                                                            | सर्व उमेदवार                     | १९                                | १९                             | १८                        | १९                        |
| <b>२. कमाल वयोमर्यादा</b>                                  |                                  |                                   |                                |                           |                           |
| <b>२.१ सर्वसाधारण/महिला</b>                                |                                  |                                   |                                |                           |                           |
|                                                            | (१) अमागास                       | ३८                                | ३८                             | ३८                        | ३८                        |
|                                                            | (२) मागासवर्गीय / अनाथ / आ.दु.घ. | ४३                                | ४३                             | ४३                        | ४३                        |
| <b>२.२ प्राविण्यप्राप्त खेळाडू</b>                         |                                  |                                   |                                |                           |                           |
|                                                            | (१) अमागास                       | ४३                                | ४३                             | ४३                        | ४३                        |
|                                                            | (२) मागासवर्गीय / अनाथ/आ.दु.घ.   | ४३                                | ४३                             | ४३                        | ४३                        |
| <b>२.३ माजी सैनिक, आण्विक व अल्पसेवा राजादिष्ट अधिकारी</b> |                                  |                                   |                                |                           |                           |
|                                                            | (१) अमागास                       | ३८+ सेवा कालावधी +३ वर्षे         | ३८+ सेवा कालावधी +३ वर्षे      | ३८+ सेवा कालावधी +३ वर्षे | ३८+ सेवा कालावधी +३ वर्षे |
|                                                            | (२) मागासवर्गीय / अनाथ/आ.दु.घ.   | ४३+ सेवा कालावधी +३ वर्षे         | ४३+ सेवा कालावधी +३ वर्षे      | ४३+ सेवा कालावधी +३ वर्षे | ४३+ सेवा कालावधी +३ वर्षे |
| <b>२.४ दिव्यांग</b>                                        |                                  | ४५                                | ४५                             | ४५                        | ४५                        |
| <b>२.५ प्रकल्पग्रस्त</b>                                   |                                  | --                                | --                             | --                        | ४५                        |
| <b>२.६ भूकंपग्रस्त</b>                                     |                                  | --                                | --                             | --                        | ४५                        |
| <b>२.७ पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी</b>                        |                                  | --                                | --                             | --                        | ५५                        |

६.२.३ विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही.

६.३ अर्हता :-

६.३.१. शैक्षणिक अर्हता :-

(एक) उद्योग निरीक्षक, गट-क संवर्ग वगळता इतर संवर्गासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवीस समतुल्य म्हणून मान्य केलेली अर्हता.

(दोन) उद्योग निरीक्षक, गट-क संवर्गाकरीता शैक्षणिक अर्हता खालीलप्रमाणे राहिल :-

- (अ) सांविधिक विद्यापीठाची, अभियांत्रिकी मधील (स्थापत्य अभियांत्रिकी तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील विषयांच्या गटांशी संलग्न असलेल्या वास्तुविद्या, नगररचना इत्यादी विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका, किंवा
- (ब) विज्ञान शाखेतील सांविधिक विद्यापीठाची पदवी.

(तीन) पदविका/पदवीच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षेस बसलेले उमेदवार पूर्व परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र असतील. परंतु मुख्य परीक्षेकरीता अर्हताप्राप्त ठरल्यास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी विहित पद्धतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदविका/पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य राहिल.

(चार) अंतर्वासिता किंवा कार्यशाळेतील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आवश्यक असेल अशा पदवी धारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचा अर्ज/माहिती स्वीकारण्याच्या विहित दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहिजे.

(पाच) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

६.३.२. टंकलेखन अर्हता :-

(एक) कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी उपरोक्त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे टंकलेखन अर्हता असणे आवश्यक आहे :-

| कर सहायक                                                                                                                                                    | लिपिक-टंकलेखक                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग किमान ४० शब्द प्रति मिनिट या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण. | मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द प्रति मिनिट किंवा इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग किमान ४० शब्द प्रति मिनिट या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा या उद्देशासाठी शासनाने समकक्ष म्हणून घोषित केलेली प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण. |

(दोन) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : एसपीई १०१२/(१०८/१२)/साशि-१, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१३ अथवा तदनंतर शासनाने वेळोवेळी आदेश काढून विहित केलेली संगणक टंकलेखन अर्हता- बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी ३० शब्द प्रति मिनिट अथवा बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग इंग्रजी ४० शब्द प्रति मिनिट (लागू असेल त्याप्रमाणे) समकक्ष अर्हता म्हणून स्वीकारार्ह आहे.

(तीन) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: एसआरव्ही-२०२३/प्र.क्र.१/कार्यासन-१२, दिनांक १२ जानेवारी, २०२३ अनुसार केवळ इंग्रजी टंकलेखन प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या उमेदवाराची लिपिक-टंकलेखक संवर्गामध्ये नियुक्ती झाल्यानंतर त्याने नियुक्तीच्या दिनांकापासून ४ वर्षांत मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे विहित प्रमाणपत्र सादर करणे सक्तीचे आहे. तसेच, केवळ मराठी टंकलेखन धारण करणाऱ्या उमेदवाराची इंग्रजी भाषेत बहुतांश कामकाज होत असलेल्या विशिष्ट कार्यालयात (उदा. न्यायालय व न्यायाधिकरणातील सरकारी

वकिलांची कार्यालये इत्यादी) लिपिक-टंकलेखक संवर्गामध्ये नियुक्ती झाल्यानंतर त्याने नियुक्तीच्या दिनांकापासून ४ वर्षात इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे विहित प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे राहील. अन्यथा संबंधितांची वेतनवाढ रोखण्यात येईल.

#### ६.३.३ अर्हता/पात्रता गणण्याचा दिनांक :-

(एक) मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित अंतिम दिनांकापर्यंत किंवा त्यापूर्वी विहित शैक्षणिक अर्हता धारण केलेली असणे अनिवार्य आहे.

(दोन) शासकीय वाणिज्य परीक्षा मंडळाची विहित टंकलेखन अर्हता आयोगाकडून निश्चित करण्यात येणा-या विशिष्ट दिनांकास अथवा त्यापूर्वी धारण करणे अनिवार्य आहे.

#### ६.३.४ टंकलेखन अर्हता धारण करण्यातून तात्पुरती सूट (कर सहायक तसेच लिपिक-टंकलेखक पदाकरीता) :-

(१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक अपंग-२०१६/प्र.क्र.११६/१६-अ, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१६ नुसार दिव्यांग उमेदवारांना टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षांचा कालावधी व २ संधी अनुज्ञेय असल्यामुळे दिव्यांग आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या पात्र उमेदवारांना टंकलेखन अर्हता अनिवार्य नाही.

(२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८०/२८, दिनांक १३ जून, २०१९ अन्वये माजी सैनिक उमेदवारांना टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षांचा कालावधी व २ संधी अनुज्ञेय असल्यामुळे माजी सैनिक आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांना टंकलेखन अर्हता अनिवार्य नाही.

(३) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक: अनाथ-२०२२/प्र.क्र.८४/का-०३, दिनांक ०७ जुलै, २०२२ अन्वये अनाथ उमेदवारांना टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षांचा कालावधी व २ संधी अनुज्ञेय असल्यामुळे अनाथ आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांना टंकलेखन अर्हता अनिवार्य नाही.

(४) फक्त लिपिक-टंकलेखक संवर्गाच्या बाबतीत शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, संकीर्ण- १११४/प्र.क्र.२००/१६-अ, दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१५ अन्वये प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त व पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी प्रवर्गातून अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांना टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षांचा कालावधी अनुज्ञेय असल्यामुळे प्रस्तुत आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांना टंकलेखन अर्हता अनिवार्य नाही.

#### ७. निवडप्रक्रिया :-

७.१ जाहिरातीमध्ये नमूद अर्हता/पात्रतेविषयक अटी किमान असून किमान अर्हता धारण केली म्हणून उमेदवार शिफारशीसाठी पात्र असणार नाही.

७.२ सेवा भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया खालील सेवा प्रवेश नियम अथवा तदनंतर शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात येणा-या सुधारणा तसेच आयोगाकडून वेळोवेळी सुधारण्यात येणाऱ्या कार्यनियमावलीतील तरतुदीनुसार राबविण्यात येईल :-

(१) उद्योग संचालनालयातील उद्योग निरीक्षक, गट-क (सेवाप्रवेश) नियम, २०२१

(२) विक्रीकर विभागातील कर सहायक, गट-क (सेवाप्रवेश) नियम २०१३.

(३) वित्त विभागातील तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय (सेवाप्रवेश) नियम, २००१.

(४) शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक, गट-क (सेवाप्रवेश) नियम २०१७.

#### ८. परीक्षेचे टप्पे —

८.१ जाहिरातीमध्ये नमूद विविध संवर्गाकरीता भरती प्रक्रिया खालीलप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या टप्प्यामध्ये राबविण्यात येईल :-

| अ.क्र. | संवर्ग                         | टप्पे                                 | संयुक्त पूर्व परीक्षेचे गुण | संयुक्त मुख्य परीक्षेचे गुण |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| १      | उद्योग निरीक्षक                | संयुक्त पूर्व परीक्षा व मुख्य परीक्षा | १००                         | ४००                         |
| २      | तांत्रिक सहायक, विमा संचालनालय |                                       |                             |                             |
| ३      | कर सहायक                       |                                       |                             |                             |
| ४      | लिपिक-टंकलेखक                  |                                       |                             |                             |

८.२ कर सहायक, लिपिक - टंकलेखक संवर्गातील पदभरतीसाठी विहित टंकलेखन कौशल्य चाचणी अनिवार्य आहे.

८.३ आयोगाच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्रपणे प्रसिध्द करण्यात आलेल्या प्रस्तुत परीक्षेच्या परीक्षा योजना/ पध्दती तसेच अभ्यासक्रमानुसार पूर्व व मुख्य परीक्षेची निकाल प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

#### ८.४ मुख्य परीक्षेस प्रवेश :-

८.४.१ मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी आयोगाकडून निश्चित केलेल्या गुणांच्या सीमारेषा व मर्यादेनुसार संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी अर्हताप्राप्त ठरणाऱ्या तसेच जाहिरात/अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता व अन्य अटीची पूर्तता करणा-या उमेदवारांस संबंधित मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल.

८.४.२ मुख्य परीक्षेकरीता आयोगाच्या कार्यालयाकडून अधिसूचना निर्गमित झाल्यानंतर आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीच्या संकेतस्थळाद्वारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवारांना त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे अर्ज करता येईल. त्यावेळी मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी आयोगाने विहित केलेल्या पद्धतीने परीक्षा केंद्र निवडून परीक्षा-शुल्क विहित मुदतीत सादर करणे आवश्यक राहील. त्याशिवाय उमेदवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही.

८.४.३ संबंधित संवर्गाच्या संयुक्त मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारास स्वतंत्रपणे अर्ज सादर करून प्रत्येक संवर्गाच्या परीक्षेसाठी स्वतंत्र विहित परीक्षा शुल्क भरावे लागेल.

#### ८.५ टंकलेखन कौशल्य चाचणी (केवळ लिपिक-टंकलेखक व कर सहायक पदाकरीता) :-

८.५.१ लिपिक-टंकलेखक तसेच कर सहायक या संवर्गातील पदभरतीकरीता संगणक प्रणालीवर आधारित स्वतंत्र टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेण्यात येईल.

८.५.२ कर सहायक संवर्गाकरीता मराठी व इंग्रजी अशा दोन्ही टंकलेखन कौशल्य चाचणीमध्ये अर्हताकारी/पात्र (Qualifying) ठरणे आवश्यक आहे.

८.५.३ टंकलेखन कौशल्य चाचणी ही केवळ अर्हताकारी/पात्रता (Qualifying) स्वरूपाची असेल.

८.५.४ लिपिक-टंकलेखक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त व पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी प्रवर्गातून अर्ज करण्यासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांना शासनाच्या धोरणानुसार टंकलेखन कौशल्य चाचणीतून सूट असल्यामुळे सदर प्रवर्गातून आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांना टंकलेखन कौशल्य चाचणी आवश्यकता नाही.

८.५.४ कर सहायक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या दिव्यांग, माजीसैनिक, व अनाथ प्रवर्गातून अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांना शासनाच्या धोरणानुसार टंकलेखन कौशल्य चाचणीतून सूट असल्यामुळे सदर प्रवर्गातून आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांना

टंकलेखन कौशल्य चाचणी देण्याची आवश्यकता नाही मात्र प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त व पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी या प्रवर्गातील उमेदवारांना कर सहायक संवर्गासाठी मराठी व इंग्रजी भाषेतील टंकलेखन कौशल्य चाचणी अनिवार्य राहिल.

८.५.६ टंकलेखन कौशल्य चाचणीचा सविस्तर तपशील आयोगाच्या संकेतस्थळावरील प्रस्तुत परीक्षेच्या परीक्षा योजना/ पद्धतीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

#### ९. पूर्व परीक्षेकरीता अर्ज करण्याची पद्धत :-

##### ९.१ अर्ज सादर करण्याचे टप्पे :-

- (एक) आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीवर यापूर्वी विहित पद्धतीने नोंदणी केली नसल्यास, नोंदणी करून खाते (Profile) तयार करणे.
- (दोन) खाते तयार केलेले असल्यास व ते अद्ययावत करण्याची आवश्यकता असल्यास, अद्ययावत करणे.
- (तीन) आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीच्या संकेतस्थळावरील उमेदवाराच्या खात्याची केवायसी (KYC) करण्याकरीता आयोगाच्या संकेतस्थळावरील क्रमांक : एडीआर-२४२५/सी.आर.०६/२०२५/मा.तं., दिनांक २० जून, २०२५ रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे विहित कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही पूर्ण करण्याकरीता स्वतंत्रपणे कालावधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. सदर कालावधीमध्ये खात्याची केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य राहिल.
- (चार) विहित कालावधीत तसेच विहित पद्धतीने पुढीलप्रमाणे लागू असेल त्यानुसार आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करणे.
- (पाच) परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पद्धतीने करणे.
- (सहा) जिल्हा केंद्र निवड करणे.
- (सात) संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीस अनुसरून, अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी आयोगाच्या संगणक प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेकरीता अर्ज सादर करणे आवश्यक राहिल.
- (आठ) संयुक्त पूर्व परीक्षेकरीता भरावयाच्या अराखीव व आरक्षित एकूण पदसंख्येच्या आधारे, मुख्य परीक्षेसाठी पात्र करावयाच्या उमेदवारांची संख्या निश्चित करून, सामाईक पूर्व परीक्षेमधील उमेदवारांच्या गुणांच्या आधारे गट-क सेवेकरीता एकत्रित निकाल जाहीर करण्यात येईल.

##### ९.२ विहित कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे अपलोड करणे :-

- (एक) प्रोफाईलमध्ये केलेल्या विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने पूर्व परीक्षेकरीता अर्ज सादर करताना खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ, पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांव्यतिरिक्त अन्य उमेदवारांना कोणतीही कागदपत्रे अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही.
- (दोन) विविध सामाजिक व समांतर आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांची पात्रता आजमावल्यानंतर (Check eligibility) उमेदवार जाहिरातीनुसार पात्र ठरत असल्यास अर्ज सादर करताना खालील कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे (लागू असलेली) अपलोड करणे अनिवार्य आहे :-

| अ. क्र. | प्रमाणपत्र/कागदपत्र                                                                                                                                                                                                                               | फाईल फॉर्मेट | किमान फाईल साईज (KB) | कमाल फाईल साईज (KB) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| १       | पात्र दिव्यांग व्यक्ती असल्याचा पुरावा                                                                                                                                                                                                            | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| २       | पात्र माजी सैनिक असल्याचा पुरावा                                                                                                                                                                                                                  | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| ३       | खेळाडू आरक्षणाकरीता पात्र असल्याचा पुरावा<br>(पूर्व परीक्षेकरीता - क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल अथवा क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सादर केलेली पोच पावती)<br>(मुख्य परीक्षेकरीता - क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल)<br>(लागू असेल त्याप्रमाणे) | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| ४       | अनाथ आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा                                                                                                                                                                                                            | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| ५       | पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा                                                                                                                                                                                        | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| ६       | भूकंपग्रस्त आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा                                                                                                                                                                                                     | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| ७       | प्रकल्पग्रस्त आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा                                                                                                                                                                                                   | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| ८       | अराखीव माहिती, खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ, पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी, भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त आरक्षणाचा दावा असल्यास अधिवास प्रमाणपत्र                                                                                                  | PDF          | ५०                   | ५००                 |

(तीन) उपरोक्त प्रमाणपत्र/कागदपत्रे आयोगाच्या संकेतस्थळावरील 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' प्रकरण क्रमांक चार तसेच प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असणे अनिवार्य आहे.

(चार) खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ, पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी, भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त आरक्षणाच्या दाव्यांच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे अपलोड केल्याशिवाय अर्ज सादर करता येणार नाही.

(पाच) अर्जासोबत प्रमाणपत्र/कागदपत्रे सादर करण्याबाबतची कार्यपद्धत आयोगाच्या क्रमांक एमआयएस-०१२०/सीआर-२२/२०२३/मा.तं., दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२५ रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकामध्ये नमूद केल्यानुसार असेल.

#### ९.५ परीक्षा शुल्काचा भरणा:-

##### ९.५.१ परीक्षा शुल्क (फी) :-

| अ.क्र. | परीक्षेचे नाव         | शुल्क रुपये |                          |                               |
|--------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|        |                       | अमागास      | मागासवर्गीय/आ.दु.घ./अनाथ | माजी सैनिक (फक्त गट-क संवर्ग) |
| १      | संयुक्त पूर्व परीक्षा | ३९४         | २९४                      | ४४                            |
| २      | मुख्य परीक्षा         | ५४४         | ३४४                      | ४४                            |

९.५.२ उपरोक्त परीक्षा शुल्काव्यतिरिक्त बँक चार्जस तसेच त्यावरील देय कर अतिरिक्त असतील.

९.५.३ परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे.

९.५.४ अर्ज सादरीकरणाचे टप्पे पूर्ण झाल्यावर उपलब्ध होणाऱ्या 'Submit and Pay fees' या बटनवर क्लिक केल्यानंतर किंवा मुख पृष्ठावरील 'माझे खाते' या सदराखालील अर्ज केलेल्या पदांच्या यादीतील 'Fees not Paid' अशी सद्यस्थिती लिहिलेल्या जाहिरात/पद/परीक्षेसमोरील 'Pay Now' या लिंकवर क्लिक करून परीक्षा शुल्काचा भरणा करता येईल.

१.५.५ परीक्षा शुल्काचा भरणा खालील दोन पद्धतीने करता येईल:-

(एक) ऑनलाईन पद्धतीने :-

- (१) भारतीय स्टेट बँक तसेच प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या कोणत्याही एका पेमेंट गेटवेच्या माध्यमातून क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगद्वारे परीक्षा शुल्क अदा करता येईल.
- (२) परीक्षा शुल्काचा भरणा करताना बँक खात्यामधून परीक्षा शुल्काच्या रकमेची वजावट झाल्यावर परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वीपणे झाला (Payment Successful) असल्याचा संदेश आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीच्या पृष्ठावर प्रदर्शित झाल्याशिवाय व परीक्षा शुल्काची पावती तयार झाल्याशिवाय संकेतस्थळावरील संबंधित पृष्ठावरून आणि/अथवा खात्यातून लॉगआऊट होऊ नये.
- (३) परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाइलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वी झाला आहे किंवा कसे, याची स्थिती (status)लगेचच अवगत होईल. खात्यातून Logout होण्यापूर्वी परीक्षा शुल्क यशस्वीपणे भरले असल्याबाबत व बँकेकडून व्यवहार (Transaction) पूर्ण झाला असल्याबाबत खात्री करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची आहे.
- (४) कोणत्याही कारणामुळे विहित कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वीपणे करणे शक्य न झाल्यास अर्ज करण्याच्या अंतिम दिनांकांनंतर दोन दिवसांपर्यंत परीक्षाशुल्काचा भरणा ऑफलाईन पद्धतीने करण्याकरीता चलनाची प्रत घेता येईल.

(दोन) ऑफलाईन पद्धतीने :- चलनाद्वारे

चलनाद्वारे परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याचा विकल्प निवडल्यास उपलब्ध होणारी चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत विहित अंतिम दिनांकापूर्वी परीक्षा शुल्काचा भरणा करता येईल. तथापि, चलनाची प्रत घेणे व बँकेत शुल्क जमा करणे, यामध्ये किमान तीन तासांचे कालावधी राहिल, याची दक्षता घ्यावी.

१.५.६ परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वी न झाल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याबाबतची कार्यवाही प्रस्तुत जाहिरातीच्या/अधिसूचनेच्या अनुषंगाने विहित दिनांकापूर्वीच करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कारणास्तव व्यवहार अयशस्वी ठरल्यास यासंदर्भातील तक्रारीची आयोगाकडून दखल घेतली जाणार नाही.

१.५.७ विहित मुदतीत परीक्षा शुल्काचा भरणा करू न शकलेल्या उमेदवारांचा संबंधित भरतीप्रक्रियेकरीता विचार केला जाणार नाही. यासंदर्भात आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनांमधील संबंधित तरतुदीचे अवलोकन करणे उमेदवारांच्या हिताचे राहिल.

१०. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती :-

१०.१ नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस खालील अर्हता/परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहिल :-

१०.१.१ जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा.

१०.१.२ हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा.

१०.१.३ शासन निर्णय, माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.), क्रमांक : मातंस-२०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०१३ शासन पुरकपत्र, दिनांक ०८ जानेवारी, २०१८ व दिनांक १६ जुलै, २०१८ अथवा महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणी/वापरण्याबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहिल.

१०.२ लिपिक- टंकलेखक संवर्गामध्ये निवड झालेल्या उमेदवारास संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या कार्यालयातील कामकाजाच्या अनुषंगाने कर्तव्ये व जबाबदा-या पार पाडाव्या लागतील. याबाबतचा तपशील संबंधित नियुक्ती प्राधिका-याकडून उमेदवाराना नियुक्ती पत्र/आदेशासोबत पुरविण्यात येईल.

१०.३ राज्यस्तरीय संवर्गामध्ये नियुक्त केलेली व्यक्ती महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदली होण्यास पात्र राहिल.

११. प्रवेशप्रमाणपत्र :-

११.१ परीक्षेस प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेशप्रमाणपत्रे आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीच्या संकेतस्थळावर (<https://mpsonline.gov.in>) उमेदवारांच्या प्रोफाइलद्वारे परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करून घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.

११.२ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वतःचे प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही.

११.३ प्रवेश प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या आयोगाकडील नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे कळविण्यात येईल. याबाबतची घोषणा आयोगाच्या संकेतस्थळावर परीक्षेपूर्वी एक सप्ताह अगोदर प्रसिद्ध करण्यात येईल.

११.४ परीक्षेच्या दिनांकापूर्वी ३ दिवस अगोदर प्रवेश प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास अर्ज सादर केल्याच्या आवश्यक पुराव्यासह आयोगाच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा.

११.५ परीक्षेच्यावेळी स्वतःच्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वतःचे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र तसेच मूळ ओळखपत्राची छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे.

११.६ आधार कार्डच्या ऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपशीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of Aadhaar generation) व आधार डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट फोटोसह रंगीत प्रिंट मध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यासच ई-आधार वैध मानण्यात येईल.

११.७ नावांमध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेला दाखला (विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत), नावांत बदल झाल्यासंबंधी अधिसूचित केलेले राजपत्र किंवा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून नावांत बदल झाल्यासंबंधीचा दाखला व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे.

१२. परीक्षेस प्रवेश :-

संबंधित परीक्षेच्या प्रवेशप्रमाणपत्रावर नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून उमेदवारांना परीक्षेच्या उपस्थितीसाठी पात्र समजण्यात येईल.

१३. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पद्धत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या <https://mpsc.gov.in> या संकेतस्थळावरील “उमेदवारांकरीता माहिती” विभागातील “सूचना” अंतर्गत “सर्वसाधारण सूचना” तसेच “परीक्षा” या सदराखालील “परीक्षा योजना” विभागातील “महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त परीक्षा” मध्ये तसेच पूर्व परीक्षा व मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम “उमेदवारांकरीता माहिती” विभागातील “परीक्षा” अंतर्गत “अभ्यासक्रम ” येथे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे.

१४. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती/जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल.

१५. प्रस्तुत परीक्षेच्या आयोजनाच्या दिनांकास अन्य संस्थेची परीक्षा असल्यास उमेदवारास कोणती परीक्षा द्यावयाची आहे; याबाबतचा निर्णय उमेदवाराने स्वतः घेणे आवश्यक राहील.
१६. आयोगास चुकीची माहिती सादर करणाऱ्या उमेदवारास सदर निवडप्रक्रियेसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल. तसेच प्रस्तुत प्रकरणी “उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना” मधील प्रकरण क्रमांक - नऊ अनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
१७. सदर जाहिरात आयोगाच्या <https://mpsc.gov.in> तसेच <https://mpsconline.gov.in> या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ठिकाण : मुंबई.

दिनांक : ०६ ऑक्टोबर, २०२५

उप सचिव, जाहिरात  
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

(१) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे. (२) प्रमाणपत्र तपासणीच्या वेळी पात्रतेसंदर्भातील सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर न केल्यास शिफारस/नियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही.

**-: विविध संवर्गाचा तपशील :-**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| (६) अनाथ | एकूण ०१ पद – संस्थात्मक |
|----------|-------------------------|

## ४. लिपिक-टंकलेखक संवर्ग :- (एकूण पदे ८५२ )

### ४.१ सामान्य प्रशासन विभाग :-

#### ४.१.१ मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (एकूण १९० पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शै.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १७   | ६             | --          | ६           | ६           | ३६      | ४          | १९                         | १९      | १३१                 | ५९            | १९०         |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ८    | ३             | --          | ३           | ३           | १८      | २          | ९                          | ९       | ६४                  | २९            | ९३          |
| (२) महिला                                                                          | ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५    | २             | --          | २           | २           | ११      | १          | ६                          | ६       | ४०                  | १८            | ५८          |
| (३) खेळाडू                                                                         | १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १    | --            | --          | --          | --          | २       | --         | १                          | १       | ६                   | ३             | ९           |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३    | १             | --          | १           | १           | ५       | १          | ३                          | ३       | २१                  | ९             | ३०          |
| (५) पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी                                                       | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | एकूण - ०८ पदे [ ०२ पदे - अंध / अल्पदृष्टी (Blind / Low Vision), ०२ पदे - कर्णबधिरता अथवा ऐकु येण्यातील दुर्बलता (Deaf / Hard Hearing) ०४ पदे - स्वमग्नता (Autism) / मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (Specific Learning Disability) / मानसिक आजार (Mental Illness) तसेच बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व ] |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | एकूण ०२ पदे [ ०१ - पद संस्थात्मक, ०१ - पद संस्थाबाह्य ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

#### ४.१.२ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एकूण ०५ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शै.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | --    | १    | --            | --          | --          | --          | २       | --         | १                          | १       | ५                   | --            | ५           |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | --    | १    | --            | --          | --          | --          | २       | --         | १                          | १       | ५                   | --            | ५           |
| (२) महिला                                                                          | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (५) पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी                                                       | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

#### ४.१.३ लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (एकूण ०२ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शै.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | २                          | --      | २                   | --            | २           |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | १                          | --      | १                   | --            | १           |
| (२) महिला                                                                          | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | १                          | --      | १                   | --            | १           |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (५) पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी                                                       | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

## ४.२ गृह विभाग :-

### महासमादेशक, होमगार्ड, बृहन्मुंबईतील कार्यालय (एकूण ०३ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण<br>आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | --    | --   | --            | --          | १           | १           | --      | --         | --                         | --      | २                   | १          | ३           |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |            |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | --    | --   | --            | --          | १           | --          | --      | --         | --                         | --      | १                   | --         | १           |
| (२) महिला                                                                          | --    | --   | --            | --          | --          | १           | --      | --         | --                         | --      | १                   | --         | १           |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --         | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | १          | १           |
| (५) पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी                                                       | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --         | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --         | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --         | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |            |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |            |             |

## ४.३ उद्योग उर्जा कामगार व खनिकर्म विभाग :-

### ४.३.१ अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई — बृहन्मुंबई क्षेत्रातील पदे (एकूण ०७ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण<br>आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|------------|----------|
| पदसंख्या                                                                           | --    | --   | --            | --          | --          | --          | २       | --         | २                          | --      | ४                   | ३          | ७        |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |            |          |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | १                          | --      | २                   | १          | ३        |
| (२) महिला                                                                          | --    | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | १                          | --      | २                   | १          | ३        |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --         | --       |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | १          | १        |
| (५) पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी                                                       | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --         | --       |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --         | --       |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --         | --       |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |            |          |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |            |          |

### ४.३.२ अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई — बृहन्मुंबई बाहेरील क्षेत्रातील पदे (एकूण १८ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा.                                                                                                                                                                                                       | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण<br>आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|------------|----------|
| पदसंख्या                                                                           | --                                                                                                                                                                                                          | १    | --            | --          | १           | --          | ४       | --         | ६                          | --      | १२                  | ६          | १८       |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |                                                                                                                                                                                                             |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |            |          |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | --                                                                                                                                                                                                          | १    | --            | --          | १           | --          | २       | --         | ३                          | --      | ७                   | ३          | १०       |
| (२) महिला                                                                          | --                                                                                                                                                                                                          | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | २                          | --      | ३                   | २          | ५        |
| (३) खेळाडू                                                                         | --                                                                                                                                                                                                          | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --         | --       |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --                                                                                                                                                                                                          | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | १                          | --      | २                   | १          | ३        |
| (५) पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी                                                       | --                                                                                                                                                                                                          | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --         | --       |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --                                                                                                                                                                                                          | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --         | --       |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --                                                                                                                                                                                                          | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --         | --       |
| (८) दिव्यांग                                                                       | एकूण ०१ पद - अस्थिव्यंगता / मेंदुचा पक्षघात (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्त (Leprosy Cured) / शारीरिक वाढ खुंटणे (Dwarfism) / आम्ल हल्लाग्रस्त (Acid Attack Victims) / स्नायु विकृती (Muscular Dystrophy) |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |            |          |
| (९) अनाथ                                                                           | --                                                                                                                                                                                                          |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |            |          |

### ४.३.३ संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई — बृहन्मुंबई क्षेत्रातील पदे (एकूण २६ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा.                                              | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | ३                                                  | १    | १             | ०           | २           | १           | ८       | १          | ३                          | ३       | २३                  | ३             | २६          |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |                                                    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | २                                                  | १    | १             | --          | १           | १           | ४       | १          | २                          | २       | १५                  | २             | १७          |
| (२) महिला                                                                          | १                                                  | --   | --            | --          | १           | --          | २       | --         | १                          | १       | ६                   | १             | ७           |
| (३) खेळाडू                                                                         | --                                                 | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --                                                 | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | --                         | --      | १                   | --            | १           |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --                                                 | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | --                         | --      | १                   | --            | १           |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --                                                 | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --                                                 | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | एकूण ०१ पद - अंध / अल्पदृष्टी (Blind / Low Vision) |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --                                                 |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

### ४.४ वित्त विभाग :-

#### ४.४.१ सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग, पुणे (एकूण ११ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | ३     | १    | --            | --          | --          | --          | २       | --         | १                          | १       | ८                   | ३             | ११          |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | १     | १    | --            | --          | --          | --          | १       | --         | १                          | १       | ५                   | १             | ६           |
| (२) महिला                                                                          | १     | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | --                         | --      | २                   | १             | ३           |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | १     | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | १                   | १             | २           |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

#### ४.४.२ सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, नाशिक विभाग, नाशिक (एकूण ०९ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | १     | १    | --            | १           | --          | २           | ४       | --         | --                         | --      | ९                   | --            | ९           |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | --    | १    | --            | १           | --          | १           | १       | --         | --                         | --      | ४                   | --            | ४           |
| (२) महिला                                                                          | १     | --   | --            | --          | --          | १           | १       | --         | --                         | --      | ३                   | --            | ३           |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | --                         | --      | १                   | --            | १           |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | --                         | --      | १                   | --            | १           |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

#### ४.४.३ सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर (एकूण १२पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | १     | १    | १             | --          | १           | --          | ६       | --         | --                         | १       | ११                  | १             | १२          |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | १     | १    | १             | --          | १           | --          | २       | --         | --                         | १       | ७                   | १             | ८           |
| (२) महिला                                                                          | --    | --   | --            | --          | --          | --          | २       | --         | --                         | --      | २                   | --            | २           |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | --                         | --      | १                   | --            | १           |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | --                         | --      | १                   | --            | १           |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

#### ४.४.४ सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, अमरावती विभाग, अमरावती (एकूण २५पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा.                                              | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | ३                                                  | --   | १             | --          | २           | १           | ५       | --         | २                          | २       | १६                  | ९             | २५          |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |                                                    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | १                                                  | --   | --            | --          | १           | --          | २       | --         | --                         | १       | ५                   | २             | ७           |
| (२) महिला                                                                          | १                                                  | --   | १             | --          | --          | १           | १       | --         | १                          | १       | ६                   | २             | ८           |
| (३) खेळाडू                                                                         | --                                                 | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | १             | १           |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | १                                                  | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | १                          | --      | ३                   | १             | ४           |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --                                                 | --   | --            | --          | १           | --          | १       | --         | --                         | --      | २                   | १             | ३           |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --                                                 | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | १             | १           |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --                                                 | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | १             | १           |
| (८) दिव्यांग                                                                       | एकूण ०१ पद - अंध / अल्पदृष्टी (Blind / Low Vision) |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --                                                 |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

#### ४.४.५ सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, नागपूर विभाग, नागपूर (एकूण ८पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | १     | १    | --            | १           | १           | --          | १       | १          | १                          | १       | ८                   | --            | ८           |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | --    | १    | --            | १           | --          | --          | --      | १          | --                         | १       | ४                   | --            | ४           |
| (२) महिला                                                                          | १     | --   | --            | --          | १           | --          | --      | --         | १                          | --      | ३                   | --            | ३           |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | --                         | --      | १                   | --            | १           |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

#### ४.४.६ सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा कोकण विभाग, नवी मुंबई (एकूण ०१ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | १     | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | १                   | --            | १           |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | १     | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | १                   | --            | १           |
| (२) महिला                                                                          | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

#### ४.४.७ विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (एकूण ०९ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा.                                                                     | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | --                                                                        | १    | --            | --          | --          | १           | १       | १          | १                          | २       | ७                   | २             | ९           |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |                                                                           |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | --                                                                        | १    | --            | --          | --          | १           | १       | १          | १                          | २       | ७                   | २             | ९           |
| (२) महिला                                                                          | --                                                                        | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (३) खेळाडू                                                                         | --                                                                        | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --                                                                        | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --                                                                        | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --                                                                        | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --                                                                        | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | एकूण ०१ पद — कर्णबधिरता अथवा ऐकु येण्यातील दुर्बलता (Deaf / Hard Hearing) |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --                                                                        |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

#### ४.५ विधी व न्याय विभाग विभाग :-

#### ४.५.१ सरकारी वकिलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई (एकूण ०८ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | ३     | --   | --            | --          | --          | --          | ३       | १          | १                          | --      | ८                   | --            | ८           |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | २     | --   | --            | --          | --          | --          | २       | १          | १                          | --      | ६                   | --            | ६           |
| (२) महिला                                                                          | १     | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | --                         | --      | २                   | --            | २           |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

#### ४.५.२ विधी व न्याय विभाग, शाखा — छत्रपती संभाजीनगर (एकूण २१ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | २     | १    | --            | --          | १           | --          | ५       | --         | १                          | २       | १२                  | ९             | २१          |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | १     | १    | --            | --          | १           | --          | २       | --         | १                          | १       | ७                   | ४             | ११          |
| (२) महिला                                                                          | १     | --   | --            | --          | --          | --          | २       | --         | --                         | १       | ४                   | ३             | ७           |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | --                         | --      | १                   | १             | २           |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | १             | १           |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

#### ४.६ मराठी भाषा विभाग :-

##### ४.६.१ भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (एकूण — ५ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | --    | --   | १             | --          | --          | --          | १       | --         | १                          | १       | ४                   | १             | ५           |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | १                          | १       | २                   | --            | २           |
| (२) महिला                                                                          | --    | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | --                         | --      | १                   | १             | २           |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | १             | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | १                   | --            | १           |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

##### ४.६.२ सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोष निर्मिती मंडळ, मुंबई (एकूण — १ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | १     | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | १                   | --            | १           |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | १     | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | १                   | --            | १           |
| (२) महिला                                                                          | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

#### ४.७ आदिवासी विकास विभाग :-

##### अपर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, नागपूर (एकूण —७ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | १     | --   | --            | १           | १           | --          | २       | --         | १                          | १       | ७                   | --            | ७           |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | १     | --   | --            | १           | १           | --          | १       | --         | १                          | १       | ६                   | --            | ६           |
| (२) महिला                                                                          | --    | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | --                         | --      | १                   | --            | १           |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

#### ४.८ सार्वजनिक बांधकाम विभाग :-

##### ४.८.१ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड, (एकूण —०४ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   | --            | --          | १           | --          | १       | --         | १                          | १       | ४                   | --            | ४           |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   | --            | --          | १           | --          | १       | --         | १                          | १       | ४                   | --            | ४           |
| (२) महिला                                                                          | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (३) खेळाडू                                                                         | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | एकूण ०२ पदे [०१ पद - अंध / अल्पदृष्टी (Blind / Low Vision), ०१ पद - स्वमग्नता (Autism) / मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (Specific Learning Disability) / मानसिक आजार (Mental Illness) तसेच बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व ] |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

##### ४.८.२ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर, (एकूण —१३ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | ३     | --   | २             | १           | १           | --          | ५       | --         | १                          | --      | १३                  | --            | १३          |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | २     | --   | १             | १           | १           | --          | २       | --         | १                          | --      | ८                   | --            | ८           |
| (२) महिला                                                                          | १     | --   | १             | --          | --          | --          | २       | --         | --                         | --      | ४                   | --            | ४           |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | १       | --         | --                         | --      | १                   | --            | १           |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

**४.९.१ नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई (एकूण — ७७ पदे)**

[illegible]

#### ૪.૧૦ નિયોજન વિભાગ :-

४.१०.१ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, बृहन्मुंबई क्षेत्रातील, मुंबई, (एकूण - ०३ पदे)

[illegible]

#### ४.११ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग :-

आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे, (एकूण - ६३ पदे)

[illegible]

## ४.१२ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग :-

### ४.१२.१ संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई (एकूण — ०६ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | --    | १    | --            | --          | --          | --          | --      | --         | १                          | --      | २                   | ४             | ६           |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | --    | १    | --            | --          | --          | --          | --      | --         | १                          | --      | २                   | ३             | ५           |
| (२) महिला                                                                          | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | १             | १           |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

### ४.१२.२ कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई (एकूण — २ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | १                          | --      | --                  | १             | २           |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |       |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | १                          | --      | --                  | १             | २           |
| (२) महिला                                                                          | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (३) खेळाडू                                                                         | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --    | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | --    |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

## ४.१३ महसूल व वन विभाग :-

### ४.१३.१ नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, मुंबई (एकूण — ३१६ पदे)

| प्रवर्ग                                                                            | अ.जा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अ.ज. | वि.जा.<br>(अ) | भ.ज.<br>(ब) | भ.ज.<br>(क) | भ.ज.<br>(ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. आणि शे.<br>मागास वर्ग. | आ.दु.घ. | एकूण आरक्षित<br>पदे | अराखीव<br>पदे | एकूण<br>पदे |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| पदसंख्या                                                                           | ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६    | ४             | ५           | १४          | १०          | ७४      | १०         | ३२                         | ३४      | २३९                 | ७७            | ३१६         |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (१) सर्वसाधारण                                                                     | २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३    | २             | २           | ७           | ४           | ३७      | ४          | १५                         | १७      | ११५                 | ३८            | १५३         |
| (२) महिला                                                                          | १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २    | १             | २           | ४           | ३           | २२      | ३          | १०                         | १०      | ७२                  | २३            | ९५          |
| (३) खेळाडू                                                                         | ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | --   | --            | --          | १           | १           | ४       | १          | २                          | २       | १४                  | ४             | १८          |
| (४) माजी सैनिक                                                                     | ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १    | १             | १           | २           | २           | ११      | २          | ५                          | ५       | ३८                  | १२            | ५०          |
| (५) पदवीधर<br>अंशकालीन कर्मचारी                                                    | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (६) भूकंपग्रस्त                                                                    | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (७) प्रकल्पग्रस्त                                                                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   | --            | --          | --          | --          | --      | --         | --                         | --      | --                  | --            | --          |
| (८) दिव्यांग                                                                       | एकूण १३ पदे — [४ पदे - अंध / अल्पदृष्टी (Blind / Low Vision), ३ पदे - कर्णबधीरता अथवा ऐकु येण्यातील दुर्बलता (Deaf / Hard Hearing), ३ पदे, अस्थिव्यंगता / मेंदुचा पक्षाघात (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्त (Leprosy Cured) / शारीरिक वाढ खुंटणे (Dwarfism) / आम्ल हल्लाग्रस्त (Acid Attack Victims) / स्नायु विकृती (Muscular Dystrophy), ०३ पदे - स्वमग्नता (Autism) / मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (Specific Learning Disability) / मानसिक आजार (Mental Illness) तसेच बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व] |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |
| (९) अनाथ                                                                           | एकूण ०३ पदे — [०२ पदे संस्थात्मक, ०१ संस्थाबाह्य]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |             |             |             |         |            |                            |         |                     |               |             |

**टिप :-** शासनाकडून प्राप्त मागणीपत्रानुसार जाहिरातीमध्ये आरक्षण दर्शविण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त व पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्यांसाठी समांतर आरक्षणानुसार सुधारित मागणीपत्र प्राप्त झाल्यानंतर सुधारित पदसंख्या व आरक्षणाबाबत शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात येतील.

परिशिष्ट — २

महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ मधील विविध संवर्गाकरीता दिव्यांग सुनिश्चिती

|                                            |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १                                          | उद्योग निरीक्षक, उद्योग संचालनालय                                                   | शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: इएसटी-३४१७/प्र.क्र.११९/ उद्योग-३, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२१ | (1) B, LV<br>(2) D, HH,<br>(3) OA, OL, BL, OAL, SD/SI, LC, DW, AAV,<br>(4) ASD(M),SLD, MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above                   |
| २                                          | कर सहायक                                                                            | शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विकवि-१०२१ /प्र.क्र.१३/ वि.प्र.-४, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२१                | (1) B, LV<br>(2) D, HH<br>(3) OA, BA, BL, OL, OAL, SD/SI, CP, LC, Dw, AAV, MDy<br>(4) ASD (M, MoD), SLD, MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above |
| ३                                          | तांत्रिक सहायक, विमा संचालनालय                                                      | शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.६/विमा प्रशासन, दिनांक १८ जून, २०२१                       | (1) LV<br>(2) HH<br>(3) OA, OL, SD/SI, AAV, LC, MDy (M)<br>(4) MI, ASD (M)<br>(5) MD involving (1) to (4)                                        |
| ४                                          | लिपिक-टंकलेखक                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| ४.१ सामान्य प्रशासन विभाग :-               |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| ४.१.१                                      | मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग                                                          | शासन निर्णय, क्र. कअस-१३१९/प्र.क्र.७४/१४-ब, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२१                                          | (1) B, LV<br>(2) D, HH,<br>(3) OA, BA, OL, BL, OAL, SD/SI, CP, LC, DW, AAV, MDy<br>(4) ASD (M) ,SLD,MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above      |
| ४.१.२                                      | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग                                                             | शासन निर्णय क्र . -मलोआ ११२१/प्र.क्र.३८/का.८ दिनांक: १६ फेब्रुवारी, २०२१                                        | (1) B, LV<br>(2) D, HH<br>(3) OA, OL, BA, BL, OAL, SD/SI, CP , LC, Dw, AAV, MDy<br>(4) ASD (M), SLD, MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above     |
| ४.१.३                                      | लोकायुक्त, उप-लोकायुक्त कार्यालय, मुंबई                                             | शासन निर्णय क्र . — एलपीएल-२०२१/प्र.क्र.३२/ का.१५, दिनांक: १६ फेब्रुवारी, २०२१                                  | (1) B, LV<br>(2) D, HH<br>(3) OA, OL, BA, BL, OAL, SD/SI, CP , LC, Dw, AAV, MDy<br>(4) ASD (M), SLD, MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above     |
| ४.२ गृह विभाग :-                           |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
|                                            | महासमादेशक, होमगार्ड, बृहन्मुंबईतील कार्यालय                                        | शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र.४०/ होम/विशा-८, दिनांक २३ जून, २०२१                                  | LV, OA, OL, OAL, SD/SI,                                                                                                                          |
| ४.३ उद्योग उर्जा कामगार व खनिकर्म विभाग :- |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| ४.३.१ व ४.३.२                              | अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई — बृहन्मुंबई व बृहन्मुंबई बाहेरील क्षेत्रातील पदे | शासन निर्णय, क्रमांक दिव्यांग-०२२१/प्र.क्र.१९/ काम-६, दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२१                                | (1)B, LV<br>(2)D,HH<br>(3)OA,OL,OAL, SD/SI, CP,LC, Dw, AAV,<br>(4)ASD (M) ,SLD,MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above                           |

|                                    |                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४.३.३                              | संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई — बृहन्मुंबई क्षेत्रातील पदे                                                             | शासन निर्णय, क्रमांक<br>इएसटी-३४१७/प्र.क्र.११९/<br>उद्योग-३, दिनांक २६<br>फेब्रुवारी, २०२१       | (1)B, LV<br>(2)D,HH<br>(3)OA,OL,BA, OAL, SD/SI, CP,LC, Dw,<br>AAV, MDy<br>(4)ASD (M,MoD) ,ID, SLD,MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above      |
| <b>४.४ वित्त विभाग :-</b>          |                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| ४.४.१<br>ते<br>४.४.५               | सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे<br>विभाग, नाशिक विभाग, छत्रपती<br>संभाजीनगर विभाग, अमरावती विभाग,<br>नागपूर विभाग,       | शासन निर्णय, क्रमांक<br>सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१/<br>कोषा प्रशा-३, दिनांक ११<br>फेब्रुवारी, २०२१  | (1)B,LV<br>(2)D,HH<br>(3)OA,OL, BL,BA,OAL, SD/SI, CP, LC, Dw, AAV,<br>MDy<br>(4)ASD (M,MOD) ,SLD,MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above       |
| ४.४.६                              | सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा<br>कोकण विभाग, नवी मुंबई                                                              | शासन निर्णय, क्रमांक<br>सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१/<br>कोषा प्रशा-३, दिनांक ११<br>फेब्रुवारी, २०२१  | (1)B,LV<br>(2)D,HH<br>(3)OA,OL, BL,BA,OAL, SD/SI, CP, LC, Dw, AAV<br>(4)ASD (M) ,SLD,MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above                   |
| ४.४.७                              | विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई                                                                                  | शासन निर्णय, सा.प्र. वि.,<br>क्र. कअस-१३१९/<br>प्र.क्र.७४/१४-ब, दिनांक<br>२६ फेब्रुवारी, २०२१    | (1) B, LV<br>(2) D, HH,<br>(3) OA, BA, OL, BL, OAL, SD/SI, CP, LC,<br>DW, AAV, MDy<br>(4) ASD (M) ,SLD,MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above |
| <b>४.५ विधी व न्याय विभाग :-</b>   |                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| ४.५.१                              | सरकारी वकिलांचे कार्यालय, उच्च<br>न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई                                                            | शासन निर्णय, क्रमांक<br>संकीर्ण२८२१/२०४/<br>प्र.क्र.२३/२१/का.८,<br>दिनांक २४ फेब्रुवारी,<br>२०२१ | (1)B,LV<br>(2)D,HH<br>(3)OA,OL, BL,BA,OAL, SD/SI, CP, LC, Dw,<br>AAV, MDy<br>(4)ASD (M) ,SLD,MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above           |
| ४.५.२                              | विधी व न्याय विभाग, शाखा — छत्रपती<br>संभाजीनगर                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| <b>४.६ मराठी भाषा विभाग :-</b>     |                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| ४.६.१ व<br>४.६.२                   | भाषा संचालक, भाषा संचालनालय,<br>महाराष्ट्र राज्य, मुंबई<br>सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोष<br>निर्मिती मंडळ, मुंबई | शासन निर्णय, क्रमांक<br>दिव्यांग-२०२१/<br>प्र.क्र.२७/आस्था-२, दिनांक<br>२३ फेब्रुवारी, २०२१      | (1)LV<br>(2)HH<br>(3)OL, BL, SD/SI, CP, LC, Dw, AAV<br>(4)ASD (M) ,ID, SLD,MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above                             |
| <b>४.७ आदिवासी विकास विभाग :-</b>  |                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                |
|                                    | अपर आयुक्त, आदिवासी विकास<br>कार्यालय, नागपूर                                                                            | शासन निर्णय, क्रमांक<br>अपंग-२५१९/प्र.क्र.०३/<br>का.१५, दिनांक १६<br>फेब्रुवारी, २०२१            | (1)B,LV<br>(2)D,HH<br>(3)OA,OL, BA,OAL, SD/SI,CP,                                                                                              |
| <b>४.८ सार्वजनिक बांधकाम विभाग</b> |                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| ४.८.१<br>व<br>४.८.२                | अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक<br>बांधकाम मंडळ, नांदेड आणि नागपूर                                                            | शासन निर्णय, क्रमांक<br>दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५ /<br>सेवा-४ , दिनांक १८<br>फेब्रुवारी, २०२१     | (1)B,LV<br>(2)D,HH<br>(3)OA,OL, BL,BA,OAL, SD/SI, CP,LC, Dw,<br>AAV, MDy<br>(4)ASD (M) ,SLD,MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above            |

| ४.९ अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई                    | शासन निर्णय, क्रमांक न्यायाप्र-२०२१/१२८/ प्र.क्र.२०/ नापु-१२, दिनांक २४ मे, २०२१             | (1)B,LV<br>(2)D,HH<br>(3)OA,OL, BL,BA, OAL, SD/SI, CP,LC, Dw, AAV, MDy<br>(4)ASD (M, MoD) , ID, SLD, MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above |
| ४.१० नियोजन विभाग                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                              | संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, बृहन्मुंबई क्षेत्रातील, मुंबई, | शासन निर्णय, क्रमांक - संकीर्ण - २०१८/प्र.क्र.२०४/का-१४२६ दिनांक ०५ एप्रिल, २०२१             | (1)B,LV<br>(2)D,HH<br>(3)OA,OL, BL,BA,OAL, SD/SI, CP,LC, Dw, AAV<br>(4)ASD (M) ,SLD,MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above                  |
| ४.११ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग :-   |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                              | आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे,                               | शासन निर्णय, क्रमांक - सकआ-२०२०/प्र.क्र.२०८/ आस्था-२ दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१               | (1)B,LV<br>(2)D,HH<br>(3)OA,OL, BL,BA,OAL, SD/SI, CP,LC, Dw, AAV, MDy<br>(4)ASD (M) ,SLD,MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above             |
| ४.१२ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग         |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |
| ४.१२.१                                       | संचालक, पुराभिलेख संचालनालय                                        | शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२५/ सां.का.२, दिनांक १२ मार्च, २०२१                | (1)B,LV<br>(2)D,HH<br>(3)OA,OL, BL,BA,OAL, SD/SI, CP,LC, Dw, AAV, MDy<br>(4)ASD (M, Mod), ID ,SLD,MI<br>(5) MD involving (1) to (4) above    |
| ४.१२.२                                       | कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई                     |                                                                                              |                                                                                                                                              |
| ४.१३ महसूल व वन विभाग                        |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                              | नोंदणी व मुद्रांक विभाग                                            | शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आस्थाप-२०२१/७८६/ प्र.क्र.१०६/ म-१, दिनांक २५ जून, २०२१ | 1) B, LV<br>2) D, HH<br>3) OA, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV<br>4) ASD (M), SLD, MI<br>5) MD involving (a) to (d)above                            |

## Full Form of Disabilities

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B, LV                                              | Blind, Low Vision,                                                                                                                                                                                                                                  |
| D, HH                                              | Deaf, Hard of Hearing                                                                                                                                                                                                                               |
| OA, BA, OL, BL, OAL, SD/SI, CP, LC, DW, AAV, MDy - | One Arm, Both Arm, Both Leg, One Leg, One Arm and One Leg, Spinal Deformity (SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological / limb dysfunction, Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victim, Muscular Distrophy (M) |
| ASD (M) ,SLD, ID, MI                               | Autism Specturm Disorder (M, MoD), Specific Learning Disability, Intellectual Disability, Mental Illness                                                                                                                                            |
| MD involving                                       | Multiple Disability involving                                                                                                                                                                                                                       |